UPMZ010066402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3137 सन 2026

रजनीश पुत्र विजयपाल
निवासी ग्राम खेडी सराय थाना मीरापुर
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—130 सन 2025
धारा—137 (2)
भारतीय न्याय संहिता
थाना— मीरापुर
जनपद— मुजफ्फरनगर

30.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि पीडिता के धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयानों में विरोधाभास है। यह भी कहा गया है कि विवेचक ने उसे धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया था। आवेदक/अभियुक्त ने विवेचना में सहयोग किया है।

अंत में कहा गया है कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। न ही वह पूर्व सजायाफता है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 16:22:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. अभियोजन कथानक अनुसार वादिया मुकदमा द्वारा घटना दिनांकित 23.06.2025 समय 2.00 बजे के संबंध में दिनांक 23.06.2025 को 14.40 बजे थाना मीरापुर पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष को गांव का रजनीश बहला फुसला कर दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 2.00 बजे ले गया। उसने अपनी पुत्री को काफी तलाश किया परंतु वह नहीं मिली।

6. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादिया मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप बताया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 26.06.2025 को धारा 35 (3) भारतीय न्याय संहिता का नोटिस दिया गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रजनीश पुत्र विजयपाल** को अंतर्गत अपराध संख्या–130 सन 2025 धारा–137 (2) भारतीय न्याय संहिता थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **30**.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर